नानूराम बनाम केसर देवी प्र.नं. 07/19

दिनांक	आज्ञा पत्र	
21.10.24	पत्रावली पेश हुई। बहस अपीलार्थी सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29.10.24 को पेश हो। [initials] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
29.10.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय ररे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [initials] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 07/2019

1 नानूराम पुत्र घासीराम उम्र 68 साल जाति जाट निवासी ग्राम गुमानपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपीलांट

बनाम

1 सन्तरा देवी आयु 45 साल पत्नी सज्जन सिंह लाम्बा जाति जाट निवासी ग्राम रामजीपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

2 मोहनलाल आयु व्यस्क

3 मोतीराम आयु व्यस्क

4 मांगीलाल पुत्र व्यस्क पुत्र पन्नाराम

5 कमला देवी पत्नी रामूराम

6 गोपाल उर्फ गौरी

7 भूद्धाराम

8 राजू पुत्रगण चोखाराम

9 गोमाराम आयु अवयस्क

10 नरेन्द्र आयु अवयस्क

11 पुसाराम आयु अवयस्क पुत्रगण गोरूराम जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता प्रभु देवी पत्नी गोरूराम

12 संतोष देवी

13 सुगना देवी

14 छोटी देवी आयु अवयस्क पुत्रियां गोरूराम जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता प्रभु देवी पत्नी गोरूराम

15 प्रभु देवी पत्नी गोरूराम

16 नारायणी देवी पत्नी पन्नाराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

समस्त जाति जाट निवासीगण चक भारीजा नम्बर 2 तहसील दांतारामगढ़

17 सज्जन सिंह लाम्बा पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी रामजीपुरा तहसील दांतारामगढ़।

18 श्रवणलाल पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी चैनपुरा तन खाचरियावास तहसील दांतारामगढ़।

19 राज्य सरकार तहसीलदार दांतारामगढ़।

20 प्रबंधक बड़ौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मण्ढा सुरेरा।

21 प्रबंधक एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा रेनवाल जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीणा
आरएएस प्रकरण संख्या 69/2018 दावा उनवानी
संतरा देवी बनाम मोहनलाल वगै. दिनांकित 09.10.2018

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरजभान सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री घनश्याम गठाला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 29.10.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

राजस्थान सरकार भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 69/2018 में पारित निर्णय दिनांक 09.10.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 21 के विरूद्ध भूमि खसरा नम्बर 1406, 1409, 1410, 1411, 1413, 1414, 1407, 1408, 1412 वाके ग्राम गुमान पुरा के संदर्भ में विचारण न्यायालय में विभाजन स्थायी निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में पक्षकारों ने राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा विचाराधीन अंतिम डिकी प्राप्त कर ली। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट द्वारा विवादित भूमि के संदर्भ में जोराराम, किशनाराम, सागर, रिछपाल, संतरा के विरूद्ध घोषणा का वाद संख्या 88/2010 उनवानी नानूराम बनाम जोराराम लंबित है। इस वाद में विचाराधीन निर्णय की वादी संतरा प्रतिवादी संख्या 8 के रूप में संयोजित है। विचारण न्यायालय में वाद संख्या 88/2010 में इस वाद के वादी की वकालतन उपस्थिति है। स्पष्ट है कि वादिया संतरा देवी को वाद संख्या 88/2010 की जानकारी है। इसके उपरांत भी वादिया ने अपीलांट को पक्षकार संयोजित किये बिना विचाराधीन वाद संख्या 69/2018 प्रस्तुत कर राजीनामें के आधार पर विचाराधीन निर्णय करवा लिया है। अपील के साथ प्रस्तुत वाद संख्या 88/2010 की प्रमाणित प्रतियों से अपीलांट के कथनों की पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में अपीलांट विचाराधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार होना प्रकट है। विचारण न्यायालय में अपीलांट पक्षकार नहीं था। अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलांट को विचाराधीन वाद की जानकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

नहीं थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का भी अधिकारी है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि अपीलांट खातेदार काश्तकार नहीं है। विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त भी नहीं है। विवादित भूमि पर कब्जे के संदर्भ में विचारण न्यायालय द्वारा 145 सीआरपीसी की कार्यवाही की गई थी। इसके निर्णय दिनांक 25.10.2023 से विवादित भूमि का कब्जा सज्जन सिंह व संतारा देवी को दिये जाने के आदेश दिये थे। इसकी पालना में दिनांक 29.01.2024 को संतारा देवी व सज्जन सिंह को कब्जा संभलाया गया है। इन दस्तावेजात की प्रति वरवक्त बहस प्रस्तुत की गई है। केवल मात्र दावा लंबित होने के आधार पर अपीलांट को प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा सकता है। अपीलांट के हितों का निर्धारण विचारण में लंबित अपीलांट के वाद में हो जायेगा। प्रस्तुत अपील से अपीलांट किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकरी नहीं है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि अपीलांट खातेदार काश्तकार नहीं है। विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त भी नहीं है। विवादित भूमि पर कब्जे के संदर्भ में विचारण न्यायालय द्वारा 145 सीआरपीसी की कार्यवाही की गई थी। इसके निर्णय दिनांक 25.10.2023 से विवादित भूमि का कब्जा सज्जन सिंह व संतारा देवी को दिये जाने के आदेश दिये थे। इसकी पालना में दिनांक 29.01.2024 को संतारा देवी व सज्जन सिंह को कब्जा संभलाया गया है। इन दस्तावेजात की प्रति वरवक्त बहस प्रस्तुत की गई है। केवल मात्र दावा लंबित होने के आधार पर अपीलांट को प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा सकता है। अपीलांट के हितों

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

का निर्धारण विचारण न्यायायल में लंबित अपीलांट के वाद में हो जायेगा। प्रस्तुत अपील से अपीलांट किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझतें है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर